उत्तराखण्ड उच्च न्यायाल, नैनीताल

माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा,

06 मई, 2022

प्रकीर्ण फौजदारी आवेदन संख्या–610 वर्ष 2022

मध्यः

श्रीमती पूनम भगत ..... प्रार्थिनी/आवेदिका

और

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य .....प्रतिवादीगण

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता	:	श्रीमती पुष्पा जोशी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहायक विद्वान अधिवक्ता सुश्री चेतना लतवाल
राज्य/ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता	:	श्री ललित मिगलानी, विद्वान ए0जे0ए0

माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.

आवेदक– अभियुक्त श्रीमती पूनम भगत, मृतक की सास, ने आरोप पत्र दिनांकित 18.05.2021 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वारा के न्यायालय में लम्बित फौजदारी वाद संख्या 2378 वर्ष 2021, ''राज्य बनाम शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्या व अन्य'' में पारित तलबी आदेश दिनांकित 25.05.2021 को अपास्त किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे एतनमिनपश्चात् 'संहिता' संदर्भित किया गया है) की धारा 482 के अन्तर्गत इस न्यायालय के अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार का आहवान किया।

2. सीमित सीमा तक आवश्यक तथ्य इस प्रकार है, कि सूचनाकर्त्ता–महेन्द्र गौतम, मृतक के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की गयी कि सह अभियुक्त शिवम भगत के साथ उसकी पुत्री, श्रीमती यशिका गौतम, का विवाह दिनांक 09.12.2020 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात, वर्तमान आवेदक अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर ऑडी कार के रूप में दहेज की मांग के लिए उसका उत्पीडन व उसे प्रताडित किया जाने लगा। 31.12.2000 को

वर्तमान आवेदक ने अन्य सह– अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसकी पुत्री से मारपीट की और धक्कें मारकर घर से बाहर निकाल दिया।_ उसने अपनी पुत्री को देवभूमि अस्पताल में भर्ती करायां। कूछ दिन बाद, उसकी पुत्री के पति, सह अभियुक्त, ने माफी मांगी और से अपने साथ वापस ले गया। उसके बाद भी, उसकी पुत्री को इन व्यक्तियों द्वारा ऑडी कार की मांग को लेकर प्रताडित किया गया। 23.02.2021 को समय लगभग सुबह 8:30–9:00 बजे, उसकी पुत्री ने अपनी माता को फोन से बताया, कि उसका जीवन खतरे में है और वे लोग उसे पैसों व कार की मांग को लेकर प्रताडित कर रहे हैं। 24.02.2021 को समय सांय लगभग 3:30 बजे उसके पुत्र, ध्रुव गौतम, को मोबाइल नम्बर 9627375554 से उसकी पुत्री के पति शिवम का फोन आया और उसने (शिवम)उसे अपने पिता के साथ आने को कहा। सूचनाकर्त्ता तुरन्त अपने पुत्र के साथ आवेदक के घर पहूंचा। उन्हें दिखकर वर्तमान आवेदक घर से बाहर चला गया। उन्होने देखा, कि शिवम कमरे में था तथा सूचनाकर्त्ता की पुत्री मृत अवस्था में बिस्तर पर पडी थी। उसके गर्दन और शरीर पर चोट के निशान एवं घाव थे।

3. वर्तमान आवेदक व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 25.02.2021 को 15:28 मिनट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरान्त आरोप पत्र दाखिल किया गया।

4. आरोप पत्र दाखिल किये जाने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा संज्ञान लिया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख के अन्तर्गत वर्तमान आवेदक के विरूद्ध आक्षेपित तलबी आदेश पारित किया गया।

5. आवेदक की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्रीमती पुष्पा जोशी तथा सहायक विद्वान अधिवक्ताा सुश्री चेतना लटवाल एवं राज्य की ओर से विद्वान ए0जी0ए0 श्री ललित मिंगलानी को सुना।

6. आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया, कि आवेदक एक 52 वर्षीय व्यक्ति है जिसे मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना की दिनांक 24.02.2021 को आवदेक पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ रूडकी में आयोजित एक राजनीतिक रैली में था। कथित रैली का सम्पूर्ण घटनाक्रम को कवर कर एक पोस्ट सोसियल मीडिया पर अपलोड की गयी है जिसमें पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ आवेदक को भी देखा जा सकता है। आवेदक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को एक लिखित आवेदन इस आशय का भेजा गया, कि जब घटना घ ाटित हुई तब वह रूडकी में थी; मृतक ने स्वंय को फंसी लगाई, उसके पैतृक परिवार के सदस्यों

को सूचित किया गया, लेकिन शव को अस्पताल ले जाने के बजाये मृतक के पारिवारिक सदस्यों द्वारा उन पर हमला किया गया और उनके घर में तोड फोड की गयी।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया, कि वर्तमान आवेदक और मृतक के बीच अच्छे सम्बन्ध थे और उनके बीच कोई तनाव नहीं था जो, उनकी व्हाट्सऐप वार्ता/चेट जिसे प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, में देखा जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया, कि केस डायरी में की गयी प्रविष्टि के अनुसार घटना के समय आवेदक के फोन की लोकेशन पहले जवाहरपुर तथा बाद में रूडकी में थी। वद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क किया गया,कि सम्पूर्ण आक्षेपित कार्यवाही प्रक्रिया का पूर्ण दुरूपयोग है तथा प्रावधानों के दुरूपयोग का एक उदाहरण है।

8. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ललित मिग्लानी द्वारा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया, कि अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के अवलोकन से वर्तमान आवेदक की अपराध मे संलिप्तता होना तथा उसे मामले में झूठा फंसाया जाने का कोई कारण नही होना, पाया गया है।

9. संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार को तीन परिस्थितियों यथा,''इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी न्यायालय की कार्यवाही के दुरूपयोग को निवारित करने के लिए, या न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए।'' संहिता की धारा 482 निम्नवत है– '' उच्च न्यायालय की अर्न्तनिहित शक्तियों की व्यावृत्तिः– इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अर्न्तनिहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी न्यायालय की कार्यवाही के दुरूपयोग को निवारित करने के लिए, या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।''

10. यह अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार यद्यपि विस्तृत है, परन्तु लापरवाही या मनमाने ढंग से प्रयोग नही किया जाना चाहिए बल्कि उपयुक्त मामलों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। एक्स डेबिटो जस्टिया– वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए। इस धारा के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय की तरह कार्य नहीं करता है। इसलिए, साक्ष्यों की प्रशंसा पर आरोप पत्र को अभिखण्डित या तलबी आदेश को अपास्त किया जाना उचित नही है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में संहिता की धारा 482 की सीमा / विस्तार पर विचार/चर्चा की गयी है।

12. मधु लिमाया बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1978 ए0आई0आर0 47 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि उच्चय न्यायालय के अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग को निम्नलिखित सिद्धान्त नियन्त्रित करेगे– (1) यदि पीडित के शिकायतों के निवारण के लिए संहिता में विशिष्ट प्रावधान विद्यमान है, तो इस शक्ति का सहारा नही लिया जाना चाहिए। (2) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को निवारित करने या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्दश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए इसका संयम से प्रयो ग किया जाना चाहिए। (3) संहिता के किसी स्पष्ट रूप से प्रतिबन्ध लगाने वाले प्रावधान के विरूद्ध इसका प्रयोग नही किया जाना चाहिए।

13. पेप्सी फूड लिमिटिड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य, 1998 (36) ए0सी0सी0 20 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है, कि संहिता की धारा 482 में कोई सीमा नहीं है परन्तु जितनी अधिक शक्ति उतनी ही देखभाल एवं सावधानी से इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

14. ली कुन ही एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जे0टी0 2012 (2) एस0सी0 237 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रशंसा, तथा आरोपों की सत्यता या अन्यथा पर विचार नही कर सकता है।

15. शक्सन बेल्थिसर बनाम केरल राज्य व अन्य, (2009)14 एस0सी0सी0 466 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया, –

''द0प्र0सं0 की धारा 482 के अधीन आरोप पत्र तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखिण्डित करने की शक्ति तथा सीमा सुस्थापित है। कथित शक्ति न्यायालय द्वारा न्यायालय तथा कानून की प्रक्रिया के दुरूपयोग को निवारित करने के लिए प्रयोग की जाती है लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जबकि शिकायतकर्त्ता द्वारा दर्ज की गयी शिकायत या पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र किसी अपराध का खुलासा न करे या जब कथित शिकायत तुच्छ, परेशान करने वाली या दमनकारी हो। उपरोक्त विवाद पर इस न्यायालय द्वारा ऐसे कई निर्णय दिये गये है, जिनमें एक शिकायत को अपास्त किये जाने सम्बन्धी कानून को संक्षिप्त रूप से पारित किया गया है।''

16. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) सप्ल (1)एस0सी0सी0 335 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों, जिनका उच्च न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अनुपालन किया जाना चाहिए, को पारित कर विधिक व्यवस्था को संक्षिप्त किया गया–

(1) जहां किसी शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपो से, चाहे उन्हें उपरी तौर पर या सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध या अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला न बनता हो।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा प्राथमिकी के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, से किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा न होता हो, जो संहिता की धारा 155(2) में निहित एक मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस अधिकारियो द्वारा किये गये अन्वेषण को न्यायोचित ठहराये।

(3) जहां प्राथिमिकी या शिकायत में लगाये गये अविवादित आरोप और उनके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य किसी अपराध के कारित होने का खुलासा न करते हो या अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला न बनाते हो।

(4) जहां, प्राथमिकी में लगाये गये आरोप किसी संज्ञेय अपराध का नही बल्कि किसी असंज्ञेय अपराध का गठन करते हो, तो संहिता की धारा 155(2) में एक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अन्वेषण स्वीकार्य नही है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वभाविक रूप से असम्भाव्य है कि उनके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नही पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

(6) जहां संहिता या संबिन्धित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है)के प्रावधानों मे कार्यवाही के स्थपित करने या निरंतरता पर कोई प्रत्यक्ष कानून प्रतिबंध हो और/या जहां पर संहिता या संबिन्धित अधिनियम में ऐसा विशिष्ट प्रावधान हो, जो पीडित पक्ष के दुखों का निवारण प्रदान करता हो।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही प्रकट दुर्भावना के साथ और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से बदला लेने के लिए तथा उससे निजि व व्यक्तिगत शिकायत के कारण, द्वेष के उद्देश्य से एक गुप्त मकसद के साथ स्थापित की जाए।''

17. 'मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटिड बनाम महाराष्ट्र राज्य व टनय',2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 315, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि–

''10. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों से, ख्वाजा नजीर अहमद (सुप्रा) में प्रिवी कॉउन्सिल के निर्णय से निम्नलिखित सिद्धान्त उत्पन्न हुए–

i. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस के पास संज्ञेय अपराध में विवेचना करने का वैधानिक अधिकार एवं दायित्व हैं।

ii. न्यायालय किसी भी संज्ञेय अपराध की किसी भी विवेचना में बाधा नही डालेगा।

पपपण लेकिन उन मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट से किसी संज्ञेय अपराध या किसी अन्य प्रकार के अपराध का खुलासा नही होता है वहां न्यायालय विवेचना जारी रखने अनुमति नही देगा।

iv. अपास्त करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलो में' संयम के साथ ही किया जाना चाहिए। (धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपास्त किये जाने के आवेदकों में दुर्लभ से दुर्लभतम मामलो के मानक इस न्यायालय द्वारा पहले मृत्यु दण्ड के सम्बन्ध में स्पष्ट किये गये मानक से भ्रमित नही किया जाना चाहिए)

v. किसी प्राथमिकी/शिकायत, जिसे अपास्त किये जाने की मांग की गयी है, का परीक्षण करते समय न्यायालय उस प्राथमिकी/शिकायत में लगाये गये आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के सम्बन्ध जांच करना शुरू नही कर सकता है।

अपण आपराधिक कार्यवााही को प्रारम्भिक चरण में कम नही किया जाना चाहिए।

vii. प्राथमिकी/शिकायत का अपास्त किया जाना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होना चाहिए।

viii. सामान्यतः जब से राज्य दो अंगों के रूप में दो विशिष्ट प्रक्रियों वाले क्षेत्रों में कार्य करता है तब से न्यायालय को पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है।न्यायालय की अर्न्तनिहित शक्ति को धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने या प्रक्रिया के उपरोक्त से निवारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गयी ळें

ix. पुलिस व न्यायपालिका के कार्य सम्पूरक, न कि अतिव्यापी, हैं।

गण कुछ ऐसे असाधारण मामलों को छोडकर जहां हस्तेक्षप न किये जाने पर न्याय का दुरूपयोग होगा, न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया अपराधो के अन्वेषण के स्तर पर हस्तक्षेप नही करेगे।

गपण न्यायालय की असाधारण एवं अर्न्तनिहित शक्तियां न्यायालय पर अपने स्वेच्छा से कार्य करने का मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नही करती है।

xii. प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नही है जिसे शिकायत किये गये अपराध से संबन्धित समस्त तथ्यो एवं विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए जब पुलिस द्वारा विवेचना प्रचलित है तो न्यायालय को प्राथमिकी में किये गये आरोपों के गुण दोष पर विचार नही करना चाहिए। पुलिस को अन्वेषण पूर्ण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। घुंधले तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना कि, शिकायत/प्राथमिकी अन्वेषण किये जाने योग्य नही है या यह कहना कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग है, असामयिक होगा। यदि अन्वेषण के दौरान या बाद में अन्वेषणअधिकारी यह पाता है, कि शिकायर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन में कोई सार नही है तो अन्वेषणकर्त्ता अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उपयुक्त आख्या/सांरांश प्रस्तुत कर सकता है। जो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii. धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शक्ति बहुत व्यापक है। लेकिन व्यापक शक्ति का प्रदान किया जाना न्यायालय से अधिक सतर्क होने की मांग करता है। यह न्यायालय पर एक कठिन एवं अधिक मेहनती कर्त्तव्य डालता है।

xiv. लेकिन साथ ही यदि न्यायालय को, कानून द्वारा लगाये गये आत्म संयम तथा अपास्त से सम्बन्धित पैरामीटर, विशेष रूप से, वो पैरामीटर जो इस न्यायालय द्वारा आर0पी0 कपूर (उपरोक्त) तथा भजन लाल (उपरोक्त) मे पारित किये गये को देखते हुए, उचित लगे तो उसे शिकायत/प्राथमिकी को अपास्त किये जाने को क्षेत्राधिकार है।

xv. जब कथित अभियुक्त द्वारा प्राथमिकी को अपास्त किये जाने की याचना की जाये, तो न्यायालय जब धारा 482 द0प्र0सं0 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करे, तो उसे केवल यह देखना चाहिए कि क्या प्राथमिकी में लगाये गये आरोप किसी संज्ञेय अपराध के कारित किये जाने का खुलासा करते है या नही तथा उसे गुण दोष पर यह विचार करने की आवश्यकता नही है कि क्या आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नही और न्यायालय को जांच ऐजन्सी/पुलिस को प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों पर जांच करने की अनुमति देनी चाहिए।"

"23. पूर्वकथित कारणों तथा उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य मुद्दे – कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और/या अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग कर शिकायत /प्राथमिकी को खारिज/निस्तारित/न लेते समय/आपराधिक कार्यवाही को अपास्त न करते समय, क्या उच्च न्यायालय अन्वेषण को स्थिगत करने और/या धारा 482 द0प्र0सं0 और/या अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अन्तर्गत अपास्त किये जाने हेतु लंम्बित याचिका के दौरान 'कोई कठोर कदम न उठाये जाये' का अन्तरिम आदेश पारित करने में उचित होगा तथा किन परिस्थितियों में तथा क्या उच्च न्यायालय अन्वेषण के दौरान या जब तक धारा 173 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल न किया जाये, अभियुक्त को गिरफ्तार न किया जाये या 'कोई कठोर कदम न उठाया जाये' का आदेश पारित करने में उचित होगा, – के सम्बन्ध में हमारे अन्तिम निष्कर्ष निम्नवत ळे–

(i) पुलिस के पास संहिता के अध्याय XIV में निहित दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराध में अन्वेषण करने का वैधानिक अधिकार एवं दायित्व ळें

(ii) न्यायालय किसी भी संज्ञेय अपराध की विवेचना में कोई बाधा नही डालेगा।

(iii) केवल उन मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट से किसी संज्ञेय अपराध या किसी अन्य प्रकार के अपराध का खुलासा नही होता है वहां न्यायालय विवेचना जारी रखने अनुमति नही देगा।

(iv) अपास्त करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलो में' (जिसे मृत्यु दण्ड के सम्बन्ध में रचित 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामले से भ्रमित न किया जाये) संयम के साथ ही किया जाना चाहिए।

(v) किसी प्राथमिकी/शिकायत, जिसे अपास्त किये जाने की मांग की गयी है, का परीक्षण करते समय न्यायालय उस प्राथमिकी/शिकायत में लगाये गये आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के सम्बन्ध जांच करना शुरू नही कर सकता है।

(vi) आपराधिक कार्यवााही को प्रारम्भिक चरण में कम नही किया जाना चाहिए।

(vii) प्राथमिकी/शिकायत का अपास्त किया जाना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होना चाहिए।

(viii) सामान्यतः जब से राज्य दो अंगों के रूप में दो विशिष्ट प्रक्रियों वाले क्षेत्रों में कार्य करता है तब से न्यायालय को पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। एक को दूसरे क्षेत्र पर हस्तक्षेप नही करना चाहिए।

(ix) पुलिस व न्यायपालिका के कार्य सम्पूरक, न कि अतिव्यापी, हैं।

(x) कुछ ऐसे असाधारण मामलों को छोडकर जहां हस्तेक्षप न किये जाने पर न्याय का दुरूपयोग होगा, न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया को अपराधो के अन्वेषण के स्तर पर हस्तक्षेप नही करना चाहिए।

(xi) न्यायालय की असाधारण एवं अर्न्तनिहित शक्तियां न्यायालय पर अपने स्वेच्छा से कार्य करने का मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नही करती है।

(xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नही है जिसे शिकायत किये गये अपराध से संबन्धित समस्त तथ्यो एवं विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए जब पुलिस द्वारा विवेचना प्रचलित है तो न्यायालय को प्राथमिकी में किये गये आरोपों के गुण दोष पर विचार नही करना चाहिए। पुलिस को अन्वेषण पूर्ण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। घुंधले तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना कि, शिकायत/प्राथमिकी अन्वेषण किये जाने योग्य नही है या यह कहना कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग है, असामयिक होगा। यदि अन्वेषण के बाद में अन्वेषणअधिकारी यह पाता है, कि शिकायर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन में कोई सार नही है तो अन्वेषणकर्त्ता अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उपयुक्त आख्या/सांरांश प्रस्तुत कर सकता है। जो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

(xiii) धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शक्ति बहुत व्यापक है। लेकिन व्यापक शक्ति का प्रदान किया जाना न्यायालय से अधिक सतर्क होने की मांग करता है। यह न्यायालय पर एक कठिन एवं अधिक मेहनती कर्त्तव्य डालता है।

(xiv) लेकिन साथ ही यदि न्यायालय को, कानून द्वारा लगाये गये आत्म संयम तथा अपास्त से सम्बन्धित पैरामीटर, विशेष रूप से, वो पैरामीटर जो इस न्यायालय द्वारा आर0पी0 कपूर (उपरोक्त) तथा भजन लाल (उपरोक्त) मे पारित किये गये को देखते हुए, उचित लगे तो उसे शिकायत/प्राथमिकी को अपास्त किये जाने को क्षेत्राधिकार है।

(xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा प्राथमिकी को अपास्त किये जाने की याचना की जाये, तो न्यायालय जब धारा 482 द0प्र0सं0 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करे, तो उसे केवल यह देखना चाहिए कि क्या प्राथमिकी में लगाये गये आरोप किसी संज्ञेय अपराध के कारित किये जाने का खुलासा करते है या नही तथा उसे गुण दोष पर यह विचार करने की आवश्यकता नही है कि क्या आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नही और न्यायालय को जांच ऐजन्सी/पुलिस को प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों पर जांच करने की अनुमति देनी चाहिए।"

(xvi) धारा 482 द0प्र0सं0 तथा/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपास्त याचिका में अन्तरिम आदेश पारित करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त कथित पैरामीटर और/या उपरोक्त पहलूओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। हालांकि अपास्त याचिका के लंबित रहते अन्वेषण को सीगित करने का अन्तरिम आदेश सावधानी से ही पारित किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश नियमित रूप से/आकस्मिक रूप से /यान्त्रिक रूप से पारित नही किया जाना चाहिए। आमतौर पर जब अन्वेषण की कार्यवाही प्रचलित हो तो उच्च न्यायालय को स्वंय को गिरफ्तारी पर रोक लगाने या ' कोई कठिन कदम नही उठाया जायें' जैसे अन्तरिम आदेश पारित करने से रोकना चाहिए तथा अभियुक्त धारा 482 द0प्र0सं0के अन्तर्गत अन्तरिम जमानत प्रस्तुत करने से निर्वासित कर देना चाहिए। धारा 482 द0प्र0सं0 तथा/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपास्त याचिका को खारिज/निस्तारित करते समय उच्च न्यायालय अन्वेषण के दौरान या जब तक अन्वेषण पूर्ण न हो तथा/या जब तक धारा 173 द0प्र0सं0 के अन्तिम रिपोर्ट/आरोपपत्र दाखिल न हो तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने या ' कोई कठिन कदम नही उठाया जायें' जैसे आदेश पारित करने में उचित नही है और न होगा।

(xvii) उपरोक्त संन्दर्भित धारा 482 द0प्र0सं0 तथा/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापक पैरामीटर के दृष्टिगत यदि किसी मामले में उच्चन्यायालय को प्रथम दृष्टया अग्रेत्तर विवेचना को स्थगित करना आवश्यक लगता है। तो उच्च न्यायालय को संक्षिप्त रूप से ऐसा अन्तरिम आदेश पारित किया जाना क्यों जरूरी है, यह कारण बताना होगा। जिससे कि न्यायालय द्वारा दिमाग लगाया जाना विदित हो तथा उच्च निगम उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करते समय क्या मुल्यांकन किया गया इस पर विचार कर सके।

(xviii) जब भी न्यायालय द्वारा ऐसा अन्तरिम आदेश पारित किया जाए कि 'कोई कठोर कदम नही उठाया जाए' तो उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि 'कोई कदम नही उठाया जाना चाहिए' से क्या मतलब होगा क्योकि 'कोई कदम नही उठाया जाना चाहिए' शब्द बहुत ही अस्पष्ट तथा/या व्यापक है जिसे भ्रमित और/या दुरूपयोग किया जा सकता है।

18. कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0580 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि

धुर्वराम मुरलीधर सोनर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 18 एस0सी0सी0 191 में **भजन लाल(उपरोक्त)** के निर्णय पर विचार करने के बाद यह पारिति किया गया है कि धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही को अपास्त किया जाना एक अपवाद है न कि नियम। यह भी अवधारित किया गया कि धारा 482 द.0प्र0सं0 के अन्तर्गत अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार यद्यपि व्यापक है परन्तु इसका प्रयोग परीक्षण, मुख्यतः उस धारा में स्वंयं दिये गये परीक्षण, के उपरान्त जब उचित हो तब ही संयम, सावधानी व सर्तकता के साथ किया जाना चाहिए। आगे यह भी देखा गया है कि धारा 482 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के स्तर पर साक्ष्यों की प्रशंसा किया जाना अनुमन्य नही है। समान दृष्टिकोण **सी0बी0आई0 बनाम अरविन्द खन्ना, (2019) 10 एस0सी0सी0 686, तेलंगाना बनाम मनगिपेट, (2019) 19 एस0सी0सी0 87 और एक्स0वाई0जेड0 बनाम गुजरात राज्य (2019) 10 एस0सी0सी0 337** में भी रहा है।

19. स्वीकृत रूप से, मृतक की शादी प्रस्तुत आवेदक के बेटे, शिवम भगत, सह अभियुक्त से दिनांक 09.12.2020 हुई थी तथा उसकी मृत्यु दिनांक 24.02.2021 को अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई। अन्वेषण के दौरान यह साक्ष्य प्रस्तुत किये गये कि मृतक से आवेदक द्वारा उसकी मृत्यु से एकदम पूर्व दहेज की मांग को लेकर कुरता की गयी थी। इस स्तर पर प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113बी की उपधाराणा आकर्षित होती हैं।

20. प्रस्तुत मामले में, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलेखों पर उपस्थित साक्ष्य को देखते हुए संज्ञान लिया गया। कथित आरोपों का परीक्षण केवल विचारण के समय ही किया जाना आवश्यक हैं। यह न्यायालय संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत एक समानान्तर विचारण नही कर सकता है। यह सुस्थापित है कि संज्ञान तथा तलबी के स्तर मामले के गुण अवगुण पर परीक्षण नही किया जा सकता है तथा आरोपो की यर्थाथता को परखने के लिए तथ्यों की परिधि में घुसना सरासर गलत है। चूंकि संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकरा का प्रयोग करते समय, यह न्यायालय अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नही करता, तो यह न्यायालय आरोपों की सत्यता के बारे में भी परीक्षण नही करेगा। प्रस्तुत मामले में यह नही कहा जा सकता कि आवेदक के विरूद्ध कोई आरोप नही है। इसके अलावा, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता इस स्तर पर यह दर्शित करने योग्य नही है कि उसके विरूद्ध आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव है जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नही पहुच सकता कि आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार नही है।

21. इसलिए, प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नही आता है। तद्नुसार, आरोपपत्र को विखण्डित तथा तलबी आदेश को अपास्त करने वाली याचिकाएं अस्वीकार की जाती है।

22. चूंकि वाद का विचारण किया जाना है, अतःयह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्वोक्त अवधारणा/विचारधारा मात्र इस संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन के निस्तारण के लिए है। यह अवधारणाएं विचारण न्यायालय को वाद का निर्णय किये जाते समय प्रभावित नही करेगी।

23. उपरोक्त निर्देशों के साथ संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन खारिज किया जाता हैं।

———————————————————

आलोक कुमार वर्मा, जे0

दिनांकः— 06.05.2022